



## उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 237 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 09 नवम्बर, 2023

### अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए०पी०आई० स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र (Economics) विषय के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका कॉलम-03 के अनुसार मा० आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1.	506097	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2.	506116	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/ पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3.	506198	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4.	506211	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/ पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5.	506318	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/ पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6.	506412	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कुमाऊ विश्वविद्यालय डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु उक्त संविदा प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत न होने के कारण अधिमान अनुमन्य नहीं है।



		है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
20.	506888	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा दून विश्वविद्यालय में कार्यरत होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन के अनुसार राजकीय महाविद्यालय में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत न होने के कारण अधिमान अनुमन्य नहीं है।
21.	506920	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
22.	506930	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
23.	507003	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार—249404 के कार्यालय को दिनांक **24 नवम्बर, 2023** के सांय **06:00 बजे** (शुक्रवार) तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।